



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082021-229242
CG-DL-E-26082021-229242

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3183]
No. 3183]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2021/भाद्र 3, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2021/BHADRA 3, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2021

का.आ. 3473(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 40 के कि.मी. 351.46 से कि.मी. 358.26 तक के एनएच-40 और एनएच-69 के बीच अप्राप्त संपर्क के चार लेन के निर्माण (चौड़ीकरण/४ लेन/६ लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 40 के कि.मी. 351.46 से कि.मी. 358.26 तक के एनएच-40 और एनएच-69 के बीच अप्राप्त संपर्क के चार लेन के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम								
1	2	3	4	5	6	7								
1	रिवेन्यू डिविजिनल ऑफिसर, चित्तूर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH40 के कि.मी. 351.46 से 358.26 तक	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	चित्तूर	<table><tr><td>1</td><td>थेनबंदा</td></tr><tr><td>2</td><td>माँगासमुद्रम</td></tr><tr><td>3</td><td>मुरकामबातु</td></tr><tr><td>4</td><td>तिम्मासमुद्रम</td></tr></table>	1	थेनबंदा	2	माँगासमुद्रम	3	मुरकामबातु	4	तिम्मासमुद्रम
1	थेनबंदा													
2	माँगासमुद्रम													
3	मुरकामबातु													
4	तिम्मासमुद्रम													

[फा. सं. RW/NH-12037/1/2021-22/ Annual Plan-AP]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th August, 2021

S.O. 3473(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (Widening/Four laning/Six laning etc.,) maintenance, management and operation for four lane of missing link between NH-40 and NH-69 from Km. 351.460 to Km. 358.260 of National Highway No. 40 in the District of Chittoor, in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land Acquisition for building, maintenance, management and operation for four lane of missing link between NH-40 and NH-69 from Km. 351.460 to Km.358.260 of National Highway No. 40 in the District of Chittoor, in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village								
1	2	3	4	5	6	7								
1	Revenue Divisional Officer, Chittoor	351.46KM To 358.26KM	ANDHRA PRADESH	CHITTOOR	Chittoor	<table><tr><td>1</td><td>Thenabanda</td></tr><tr><td>2</td><td>Mangasamudram</td></tr><tr><td>3</td><td>Murkambattu</td></tr><tr><td>4</td><td>Timmasamudram</td></tr></table>	1	Thenabanda	2	Mangasamudram	3	Murkambattu	4	Timmasamudram
1	Thenabanda													
2	Mangasamudram													
3	Murkambattu													
4	Timmasamudram													

[F. No. RW/NH-12037/1/2021-22/ Annual Plan-AP]

RAJESH GUPTA, Director